मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 1991 (श्रावण 4, 1913)

समय 10.30 बजे

1-प्रश्नोत्तर.

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-89 से दिनांक 31-3-90 तक) पटल पर रखेंगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) ठाकुर दरबार सिंह, श्री पूरन सिंह पलैया, श्री रामप्रताप सिंह सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम पपडेरू निवासी एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोम प्रकाश गिरी, सदस्य, रायपुर एवं दुर्ग जिले में डिसनेट द्वारा आठ करोड़ की फर्जी एवं असफल नालियों का निर्माण कराये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, सीहोर जिले में बुधनी एवं शाहगंज के बीच बने गुंजारी नाले के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, बाणसागर परियोजना की मुख्य केनाल के निर्माणाधीन रास्ते में पानी के बहाव का रास्ता रोकने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में केन्द्रीय सहकारी अधिकोष द्वारा कृषको को नियमानुसार ऋण प्रदाय न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री आरिफ अकील, मोतीलाल वोरा, सूबेदार सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम मादामऊ की एक बालिका के साथ बलात्कार की घटना घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डा. गोविन्द सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सोमप्रकाश गिरी, सदस्य, रायपुर जिले के कुरूद विधान सभा क्षेत्र में सरपंचों द्वारा निराश्रित पेंशन राशि का वितरण न किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भिण्ड जिले की उपजेल में एक कैदी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री अशोक शुक्ला, चौधरी राकेश सिंह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, महू के समीप आनंद नगर कालोनी में डकैती की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री लक्ष्मीनारायण पटेल, सदस्य, शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के मक्सी क्षेत्र में सांसद पर हुए हमले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री बद्रीलाल सोनी, सदस्य -

(क) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर के जीरापुर मार्ग की काली सिंध नदी पर पुल निर्माण कराने,

(ख) सुसनेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बिस्तरों का वार्ड बनाने,

(ग) सुसनेर के इतवारिया क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(घ) सुसनेर में पेयजल हेतु टंकी निर्माण कराने,

(ड.) सुसनेर में कन्या इंटर कालेज (10+2) खोले जाने,

(च) सुसनेर-जीरापुर मार्ग को पूर्ण कराने,

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य -

(क) भोपाल के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में टाट-पट्टी उपलब्ध कराने,

(ख) भोपाल में ट्रांसपोर्ट नगर के अभाव में भारी वाहनों को प्रवेश दिये जाने,

(3) श्री नन्द किशोर खत्री, सदस्य, आष्टा के ग्राम जसमत में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने, तथा

(4) श्री नन्द कुमार पटेल ,सदस्य :-

(क) जिला रायगढ, तहसील खरसिया, ग्राम मदनपुर में सार्वजनिक भवन निर्माण कराने,

(ख) खरसिया के ग्राम हालाडूली में हाईस्कूल खोले जाने, तथा

(ग) खरसिया के ग्राम मदनपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कराने,

के संबंध मे याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5- वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

6- संविहित संकल्प.

15 मिनिट श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

"यह सदन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 65 के अंतर्गत ऋण लेने की अधिकतम धन राशि रूपये 2850 करोड़ से बढा कर रूपये 3500 करोड़ नियत किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान करता है".

7- अशासकीय विधेयक.

15 मिनिट (1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 10 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार होने की दशा में प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मिनिट (2) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 11 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार होने की दशा में प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8- अशासकीय संकल्प.

20 मिनिट (1) डा. गोविन्द सिंह, श्री महेश तिवारी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शासकीय घोषित करने की कार्यवाही की जावे".

20 मिनिट (2) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में उपकरणों का संसाधरण सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम उठाए जाए".

15 मिनिट (3) श्री मोती कश्यप, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि पिछड़ा वर्ग सूची में माझी जनजाति और उसकी समस्त पर्यायवाची तत्सम् उपजाति और वर्ग समूह को विलोपित करने हेतु कार्यवाही की जाए".

20 मिनिट (4) श्री सुरेश सेठ, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि खेल कूद की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये इन्दौर टेबिल टेनिस पब्लिक ट्रस्ट की सम्पत्ति और खेल प्रशाल का म.प्र. शासन द्वारा जनहित में अधिग्रहण किया जाये".

15 मिनिट (5) श्री आरिफ अकील, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि भोपाल वासियों को शुद्ध तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिये राजधानी में तुरन्त नर्मदा जल लाने की कार्यवाही की जाए".

9- नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.

(1) दिनांक 3 जुलाई, 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 519) के उत्तर से उदभूत विषय पर सर्वश्री गोपी कृष्ण नेमा, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 17 जुलाई, 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 1938) के उत्तर से उदभूत विषय पर श्री भागचन्द सौगानी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपालः

दिनांक 25 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा